



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 11.10.2024

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में थाना नगीना पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा धारा 323/34, 325/34 भादवि के 04 आरोपी अभियुक्तगणों 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 24,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि दिनांक 25.01.2021 को वादी श्री मनोज कुमार पुत्र कल्याण सिंह निवासी ग्राम सैदखेडी थाना नगीना जनपद बिजनौर ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि वादी के बेटे द्वारा गांव में ट्रक खडा करने को लेकर हुये विवाद में अभियुक्तगण 1- विपिन 2- अतुल 3- विशाल पुत्रगण महावीर निवासीगण ग्राम सैदखेडी थाना नगीना जनपद बिजनौर 5- दीपक कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम नरुल्लापुर उदयचन्द थाना धामपुर जनपद बिजनौर ने वादी के बेटे पर लाठी डंडो से मारपीट की गयी। इस संबंध में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 41/21 धारा 323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 11.10.2024 को मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, नगीना बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 41/24 धारा 323/34, 325/34 के 04 आरोपी अभियुक्तगण 1- विपिन 2- अतुल 3- विशाल पुत्रगण महावीर निवासीगण ग्राम सैदखेडी थाना नगीना जनपद बिजनौर 5- दीपक कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम नरुल्लापुर उदयचन्द थाना धामपुर जनपद बिजनौर को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 24,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

- 1- विपिन पुत्र महावीर निवासी ग्राम सैदखेडी थाना नगीना जनपद बिजनौर।
- 2- अतुल पुत्र महावीर निवासी ग्राम सैदखेडी थाना नगीना जनपद बिजनौर।
- 3- विशाल पुत्र महावीर निवासी ग्राम सैदखेडी थाना नगीना जनपद बिजनौर।
- 4- दीपक कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम नरुल्लापुर उदयचन्द थाना धामपुर बिजनौर।



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 11.10.2024

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा जानलेवा हमले के आरोपी बाल अपचारी को 04 वर्ष के कठोर कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित ।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि दिनांक 22.04.2018 को वादी श्री कैलाशचन्द शर्मा पुत्र श्री काशीराम शर्मा निवासी ग्राम बिशनपुरा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि वादी का भाई शिवकुमार शर्मा अपनी साइकिल पर गेहुं का बोरा रखकर पिसवाने जा रहा था कि रास्ते में गांव के ही AB पुत्र दीपक शर्मा ने मोटरसाइकिल पर पीछे से आकर वादी के भाई को गोली मार दी, जिससे वादी का भाई घायल हो गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 214/18 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया। दिनांक 27.04.2018 को स्थानीय पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया, जिसके संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 229/18 धारा 25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा दोनो अभियोगों में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी तथा अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 11.10.2024 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम), जनपद बिजनौर द्वारा उपरोक्त अभियोगों में आरोपी बाल अपचारी AB पुत्र दीपक शर्मा निवासी ग्राम बिशनपुरा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को 04 वर्ष के कठोर कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध बाल अपचारी का नाम व पता –

AB पुत्र दीपक शर्मा निवासी ग्राम बिशनपुरा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ

दिनांक – 11.10.2024

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 316/24 धारा 352/351(2)/77 बी0एन0एस व धारा 67 आईटी एक्ट से सम्बन्धित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 01.10.2024 को वादिया द्वारा थाना अफजलगढ पर तहरीर दी गयी की अभियुक्तगण द्वारा वादिया की आपत्तिजनक फोटो खींचकर वायरल की गयी तथा गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 316/24 धारा 352/351(2)/77 बी0एन0एस व धारा 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 11.10.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्त का नाम व पता –

बाल अपचारी

पुलिस अभिरक्षा मे लेने वाली टीम –

- 1.म0निरीक्षक शर्मिला शर्मा, क्षेत्राधिकारी कार्यालय अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 2.कां0 2134 नितिन कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर

दिनांक – 11.10.2024

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 366/24 व मु0अ0सं0 373/24 में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.09.2024 को श्री छतरा सिंह पुत्र मुरारी सिंह निवासी ग्राम अस्करीपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर सूचना दी कि दिनांक 18.09.2024 की रात्रि में उसकी गाय घर से खुलकर जंगल की ओर कहीं चली गई थी जिसकी प्रार्थी लगातार तलाश कर रहा था । दिनांक 20.09.2024 को खोजबीन के दौरान छतरा सिंह को उसकी गाय के अवशेष चन्द्रदीप पुत्र शिवकुमार चौहान के गन्ने के खेत में मिले । इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 366/24 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया ।



दिनांक 23.09.2024 को थाना नूरपुर पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड के दौरान अभियुक्त सुल्तान पुत्र इलियास निवासी ग्राम गांवडी पनियाला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को अवैध तमन्चे व गौवध करने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया था । इस संबंध थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 373/24 धारा 109 बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था । पूछताछ के दौरान अभियुक्त सुल्तान ने मौके से फरार अपने साथियों के नाम 1- आरिफ पुत्र इलियास 2- गुल्लू पुत्र मुर्तजा निवासीगण ग्राम गांवडी पनियाला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर व सलीम पुत्र अतीक निवासी मौ0 मौहम्मदनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर बताये थे ।

कार्यवाही का विवरण –

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1- आरिफ पुत्र इलियास व 2- गुल्लू उर्फ शहनावज पुत्र मुर्तजा निवासीगण ग्राम गांवडी पनियाला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

अभियुक्त आरिफ थाना नूरपुर का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है जिसकी हिस्ट्रीशीट संख्या 62/ए है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. आरिफ पुत्र इलियास निवासी ग्राम गांवडी पनियाला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2. गुल्लू उर्फ शहनावज पुत्र मुर्तजा निवासी ग्राम गांवडी पनियाला थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण गुल्लू उपरोक्त –

- 1- मु0अ0सं0 366/24 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 2- मु0अ0सं0 373/24 धारा 109 बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण आरिफ उपरोक्त –

- 1- मु0अ0सं0 366/24 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 2- मु0अ0सं0 373/24 धारा 109 बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 3- मु0अ0सं0 48/20 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
- 4- मु0अ0सं0 124/20 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

5- मु0अ0सं0 260/18 धारा 379/411 भादवि थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

6- मु0अ0सं0 52/13 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

7- मु0अ0सं0 238/14 धारा 3(1) गैंगस्टर अधि0 थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री देवी प्रसाद गौतम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

2. हे0का0 415 भूपेन्द्र थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

3. का0 1893 अंकित थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

4. का0 2588 राहुल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर

दिनांक – 11.10.2024

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 479/24 धारा
333/79/352/351(3)/76/115(2)/74/126(2) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त को
किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 09.10.2024 को वादिया ने थाना धामपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त 1.प्रदीप पुत्र शेरसिंह निवासी गण ग्राम सेठी थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादिया के साथ छेडछाड करते हुए मारपीट कर ,चेहरे पर तेजाब डालने की धमकी दी गयी तथा अभियुक्त के पिता शेरसिंह द्वारा वादिनी के घर में घुसकर उसके परिजनों के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गयी । तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0 479/24 धारा 333/79/352/351(3)/76/115(2)/74/126(2) बी0एन0एस0 बनाम प्रदीप आदि 02 नफर पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

थाना धामपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त प्रदीप पुत्र शेरसिंह निवासी ग्राम सेठी थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

प्रदीप पुत्र शेरसिंह निवासी ग्राम सेठी थाना धामपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री हरिओम गौतम थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2. का0 752 रविमान थाना धामपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना हीमपुर दीपा

दिनांक – 11.10.2024

थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही विवरण –

थाना हीमपुर दीपा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त तरुण पुत्र सिंटू निवासी ग्राम हरिनगर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को एक अवैध तमन्चा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 154/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

तरुण पुत्र सिंटू निवासी ग्राम हरिनगर थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

एक अवैध तमन्चा 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री कुलवीर सिंह थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री मुकेश कुमार थाना हीमपुर जनपद बिजनौर
3. का0 716 देवकरन थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर
4. का0 2426 शक्तिराम थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर

दिनांक – 11.10.2024

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 394/2024 धारा 305(क) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 10.10.2024 को वादी श्री अमित कुमार पुत्र बहुरन सिंह निवासी ग्राम राजा का ताजपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम खाना थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा ग्राम राजा का ताजपुर स्थित इन्डियन बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र में से बैंक की पी0ओ0एस0 मशीन चोरी कर ली गयी है। तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 394/2024 धारा 305(क) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही –

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त दीपक कुमार पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम खाना थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

दीपक कुमार पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम खाना थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण –

इन्डियन बैंक की पी0ओ0एस0 मशीन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री राहुल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
- 2.का0 2484 संदीप कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
- 3.का0 1806 कुलदीप खोखर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना स्योहारा

दिनांक- 11.10.2024

थाना स्योहारा पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.10.2024 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1- पीयूष पुत्र रघुनाथ निवासी ग्राम मुकरपुरी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2- दिलावर पुत्र रामचन्द्र निवासी मुकरपुरी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 3- अर्जुन पुत्र बाबू निवासी ग्राम मुकरपुरथाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 4- बाबू पुत्र सदवा निवासी मौ० सफियाबाद कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- 1-उ०नि० श्री कृपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2-उ०नि० यशपाल सिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 3- हे०का०-360 ब्रजपालसिंह थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 4- का० 1767 विवेक मुण्डेरना थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 5-हे०का० 137 असकर खाँ थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नजीबाबाद

दिनांक – 11.10.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने मु0अ0सं0 504/2024 धारा 65(1) बीएनएस व धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 10.10.2024 को वादी ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अभियुक्त उत्तम कुमार उर्फ विमल पुत्र हुकम सिंह निवासी ग्राम समीपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री के साथ गलत कार्य किया गया । तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 504/2024 धारा 65(1) बीएनएस व धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त उत्तम कुमार उर्फ विमल पुत्र हुकम सिंह निवासी ग्राम समीपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

उत्तम कुमार उर्फ विमल पुत्र हुकम सिंह निवासी ग्राम समीपुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री कय्यूम अली थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।
- 2.का0 1814 देवव्रत थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ

दिनांक – 11.10.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने अभियुक्त को चोरी किये गये ABC बिजली केबिल तार सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 05.10.2024 को वादी श्री नितीश कुमार पुत्र धर्म सिंह निवासी भवानीपुर बुढावाला थाना नगीना जनपद बिजनौर ने थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि रोहित पुत्र रमेश निवासी ग्राम नारायणवाला थाना रेहड जनपद बिजनौर द्वारा बिजली घर मानियावाला से ABC बिजली तार चोरी कर लिये । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 319/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम रोहित व एक अन्य अज्ञात पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 11.10.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रोहित पुत्र रमेश निवासी ग्राम नारायणवाला थाना रेहड जनपद बिजनौर को चोरी किये गये ABC बिजली केबिल तार पुराना (वजन करीब 01 कुन्तल 25 किलोग्राम) सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्त वफा अब्बास पुत्र नासिर हुसैन निवासी गली नं0 04 संगम विहार वजीराबाद बुराडी उत्तरी दिल्ली का नाम प्रकाश में आया है । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रोहित पुत्र रमेश निवासी ग्राम नारायणवाला थाना रेहड जनपद बिजनौर

बरामदगी –

ABC बिजली केबिल तार पुराना (वजन करीब 01 कुन्तल 25 किलोग्राम)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 2.कां0 293 राहुल कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर
- 3.कां0 2118 अभिषेक ढाका थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ़

दिनांक – 11.10.2024

थाना अफजलगढ़ पुलिस ने मु0अ0सं0 321/24 धारा 137(2) बीएनएस से सम्बन्धित बाल
अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 09.10.24 को वादी द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बंध में थाना अफजलगढ़ पर मु0अ0सं0 321/24 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया ।

कार्यवाही –

आज दिनांक 11.10.2024 को थाना अफजलगढ़ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्त का नाम व पता –

एक बाल अपचारी

पुलिस संरक्षण में लेने वाली टीम –

- 1.वरि0उ0नि0 श्री श्रीपाल सिंह थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर
- 2.का0 2118 अभिषेक ढाका थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना मंडावर

दिनांक – 11.10.2024

थाना मंडावर पुलिस ने मु0अ0सं0 263/24 धारा 299 बीएनएस से सम्बंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 10.10.2024 को वादी श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र हेतराम सिंह निवासी ग्राम शहबाजपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर ने थाना मंडावर पर तहरीर दी कि फरमान पुत्र हामिद निवासी मौहल्ला मंगल बाजार कस्बा व थाना मंडावर जनपद बिजनौर द्वारा धर्मगुरु श्री अनिरुद्ध आचार्य की फोटो एडिटिंग करके अशोभनीय फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 263/24 धारा 299 बीएनएस बनाम फरमान उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 11.10.2024 को थाना मंडावर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में नामित अभियुक्त फरमान पुत्र हामिद निवासी मौहल्ला मंगल बाजार कस्बा व थाना मंडावर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फरमान पुत्र हामिद निवासी मौहल्ला मंगल बाजार कस्बा व थाना मंडावर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना मंडावर जनपद बिजनौर
- 2.कां0 2132 साकेत भाटी थाना मंडावर जनपद बिजनौर
- 3.कां0 2472 अरुण थाना मंडावर जनपद बिजनौर